



प्रिय शेयरधारक,

विषय: लाभांश का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, क्रेडिट क्लियरिंग के जरिए भुगतान (ईसीएस)

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है -
क) प्रेषण में हानि
ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समयोचित सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ने निर्देश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।
4. ईसीएस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। भुगतान का अनुदेश शाखा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाशोधन प्राधिकारी (भारतीय रिजर्व बैंक) को जारी किया जाएगा तथा समाशोधन प्राधिकारी उस शाखा को जमा सूचना प्रेषित करेगा जहाँ शेयरधारक सदस्य ने अपना खाता रखा है। संबंधित शाखा खाते में रकम जमा करेगी तथा जमा प्रविष्टि को पासबुक/ खाता विवरण में ईसीएस के रूप में सूचित करेगी। इस व्यवहार को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक सदस्य को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट (फिलहाल 64) केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से ईसीएस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक सदस्य के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है। क्योंकि शेयरधारक सदस्य के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. हमने लाभांशों के भुगतान के लिए यह सुविधा शुरू की है और आप से अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्वयं के हित में यह सुविधा उपलब्ध करें। कृपया यह नोट करें कि यह केवल भुगतान का एक अतिरिक्त प्रकार है और यह वैकल्पिक है।
7. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश, निर्देश, वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित करने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ईसीएस अधिदेश दर्ज किया जाएगा यदि आपने ईसीएस के लिए विकल्प दिया है।
8. हम एतद्वारा एक ईसीएस अधिदेश फार्म संलग्न कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण होनी चाहिए और बेहतर होगा यदि वह आप के बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो (अनिवार्य नहीं)। कृपया अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाइन) की यथा तथ्यता सत्यापित की जा सके।
9. कृपया ईसीएस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : सिंडिकेट बैंक, प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081 को अग्रेषित करें।
10. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश वारंटों पर कार्रवाई के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)
कंपनी सचिव

दिनांक : 28.05.2009

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend by Electronic Clearing Service - Credit Clearing (ECS)

1. At times the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
a) Loss in transit
b) Fraudulent encashment by third parties
c) Postal delay
2. To avoid these problems the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. Further, the Securities & Exchange Board of India have directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. Payment instructions would be issued electronically through the branch to the Clearing Authority (RBI) and the Clearing Authority would supply credit reports to the branch at which the shareholder member maintains the account. The concerned branch will credit the amount to the account and indicates the credit entry as ECS in the Pass Book / Statement of Account. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder member after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with Banks at certain specified centres (64 at present) and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder member need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder member.
6. This facility has been introduced for payment of Dividends and we would request you to avail this facility in your own interest. Please note that this is only an additional mode of payment and is optional.
7. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record in case you opt for ECS.
8. The 'ECS Mandate Form' is annexed and we request you to furnish the details of your Bank Account where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and it would be better (not compulsory) if certified by your Bank. Please attach a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your bank for verifying the accuracy of the MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. Kindly send the ECS Form duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: Syndicate Bank, Plot No. 17 to 24, Vithalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081.**
10. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of effecting the future dividend warrants.

Yours faithfully,

रवि

(R. RAVI)
Company Secretary

Date: 28-05-2009



Your faithful & friendly financial partner

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (क्रेडिट क्लियरिंग)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेट बैंक
प्लॉट सं. 17 से 24
विठ्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद - 500 081

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)
First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

क) बैंक का नाम

A) Bank Name :

ख) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)

B) Branch Name & City (Pin Code) :

ग) खाता संख्या (चेक बुक पर जो लिखा गया है)

C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

घ) खाते का प्रकार (कृपया सही का निशान लगाएं)

D) Account Type (Please tick) :

(बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)

(SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

ब.बैं. ☐
SB

चालू ☐
Current

नकदी उधार ☐
Cash Credit

ड) बैंक खाते का खाता बही पन्ना (यदि चेक बुक पर दिया गया है)

E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
(If appearing on the Cheque book) :

च) बैंक द्वारा जारी किये गए एम आई सी आर चेक पर दिया हुआ बैंक
तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या

F) 9 Digit Code No. of the Bank & Branch appearing
on the MICR Cheque issued by the Bank :

--	--	--

--	--	--

--	--	--

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक पत्र की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा DECLARATION

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही हैं । अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेनदेन में विलंब होता है या सम्पन्न ही नहीं किया जाता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी ।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the SyndicateBank responsible.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of the Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।

NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.



प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)

डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम निवासी
 जिला राज्य सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा
 श्री/श्रीमती निवासी
 जिला राज्य को, अथवा इनके न होने पर,
 श्री/श्रीमती निवासी
 जिला राज्य को सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की 26 जून, 2009 को
 सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में पूर्वाह्न 11.00 बजे होनेवाली वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में
 मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

कृपया रु. 1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

वर्ष 2009 के माह के दिन को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेशः

- मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब
 - व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेट बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- मुख्तारी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **20-06-2009** को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेट बैंक नैगम सूचना केन्द्र, सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
- कोई भी मुख्तारी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्थापित न हो।
 - बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
 - यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाए।
 - जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हों।
 - सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



Your faithful & friendly financial partner

PROXY FORM

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We.....resident(s) of in the district of in the state of being a shareholder / shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal hereby appoint Shri/Smt. resident of in the district of in the state of or failing him / her, Shri/ Smt. resident of..... in the district of in the state of as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 26th June, 2009 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2009.

Please Affix
– Re.1/-
Revenue
Stamp

.....
Signature of Proxy

.....
Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with the Corporate Information Centre, SyndicateBank, Head Office, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on **20-06-2009**.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
 - An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
 - In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
 - The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
 - No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.



फॉर्म 2 बी
(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र
(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम और
और जो सिंडिकेट बैंक के फोलियो नं.के अन्तर्गत
शेयरधारक हूँ/हैं एतद्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ/करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/ अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे।

नामिती का नाम और पता

नाम :

पता :

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक

नाम और पता

** (यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

दिनांक:

गवाह का पता, नाम और हस्ताक्षर

नाम और पता

दिनांक सहित हस्ताक्षर

1.

2.

अनुदेश :

- नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं। यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है। यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे।
- नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए।
- सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं। एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है।
- शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा।
- नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
- नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधार को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. नामांकन प्रपत्र दिनांक को प्राप्त किया

पंजीकरण सं. दिनांक:

टिप्पणी:



FORM 2B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We and
and the holder(s) of shares under the Folio number of SyndicateBank
wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares
shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name :

Address :

Date of birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is

Name and Address:

(** To be deleted if not applicable)

Signature :

Name :

Address :

Date :

Signature :

Name :

Address :

Date:

Address, name and signature of witnesses:

Name and Address

Signature with date

1.

2.

Instructions :

1. The Nomination can be made by individuals only applying / holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination /nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL.NO. NOMINATION FORM RECEIVED ON

REGISTRATION NO. DATE:

REMARKS:



उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय अभ्यर्पित किया जाए)

दिनांक : शुक्रवार, 26 जून, 2009

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की 10वीं वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	डीपी आइडी:
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	डीपी आइडी:
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

(अभ्यर्पित किया जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	डीपी आइडी:
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	



ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : Friday, 26th June, 2009
Time : 11.00 a.m.
Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the 10th Annual General Meeting of the Bank

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative Present	
Regd. Folio	DP ID:
	Client ID:
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

ENTRY PASS

(to be retained throughout the Meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative Present	
Regd. Folio	DP ID:
	Client ID:
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholders / Proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative Present	
Regd. Folio	DP ID:
	Client ID:
(If not dematerialised)	(dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

उन केंद्रों की सूची जहाँ लाभांश जमा करने की सुविधा उपलब्ध है
List of centers where ECS Facility for credit of Dividend is available

क्र.सं. Sl.No.	केन्द्र का नाम Name of the Centre	क्र.सं. Sl.No.	केन्द्र का नाम Name of the Centre
भा.रि.बैं. केन्द्र RBI CENTRES			
1	अहमदाबाद Ahmedabad	9	जयपुर Jaipur
2	बेंगलूर Bangalore	10	कानपुर Kanpur
3	भुवनेश्वर Bhubaneshwar	11	मुंबई Mumbai
4	कोलकाता Kolkata	12	नागपुर Nagpur
5	चंडीगढ़ Chandigarh	13	नई दिल्ली New Delhi
6	चेन्नई Chennai	14	पटना Patna
7	गुवाहाटी Guwahati	15	तिरुवनंतपुरम Thiruvananthapuram
8	हैदराबाद Hyderabad		
अन्य केन्द्र OTHER CENTRES			
1	आगरा Agra	26	लखनऊ Lucknow
2	इलहाबाद Allahabad	27	लुधियाना Ludhiana
3	अमृतसर Amritsar	28	मदुरै Madurai
4	औरंगाबाद Aurangabad	29	मंगलूर Mangalore
5	बड़ौदा Baroda	30	मैसूर Mysore
6	भिलवाड़ा Bhilwara	31	नासिक Nashik
7	भोपाल Bhopal	32	पणजी Panaji
8	बर्दवान (गैर-एम.आइ.सी.आर.) Burdwan (non-MICR)	33	पाँडिचेरी Pondicherry
9	कोझीकोड Kozhikode	34	पुणे Pune
10	कोयंबतूर Coimbatore	35	रायपुर Raipur
11	देहरादून Dehradun	36	राजकोट Rajkot
12	दुर्गापुर (गैर-एम.आइ.सी.आर.) Durgapur (non-MICR)	37	राँची Ranchi
13	ईरोड Erode	38	सेलम Salem
14	गोरखपुर Gorakhpur	39	शिमला (गैर-एम.आइ.सी.आर.) Shimla (non-MICR)
15	ग्वालियर Gwalior	40	शोलापुर Sholapur
16	हल्दिया (गैर-एम.आइ.सी.आर.) Haldia (non-MICR)	41	सिलिगुड़ी (गैर-एम.आइ.सी.आर.) Siliguri (non-MICR)
17	हुबली Hubli	42	सूरत Surat
18	इंदौर Indore	43	तिरुपूर Tirupur
19	जबलपुर Jabalpur	44	त्रिचूर Trichur
20	जालंधर Jalandhar	45	तिरुची Trichy
21	जम्मू Jammu	46	उदयपुर Udaipur
22	जमशेदपुर Jamshedpur	47	वाराणसी Varanasi
23	जोधपुर Jodhpur	48	विजयवाड़ा Vijaywada
24	कोच्ची/एर्णाकुलम Kochi / Ernakulam	49	विशाखापट्टनम Visakhapatnam
25	कोल्हापुर Kolhapur		